न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी – चंचल वर्मा आर.ए.एस.
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 44/2022

1. कृष्ण कुमार पुत्र चन्दगीराम जाति जाट साकिन भैरूछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–अपीलॉन्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपीलांट कृष्ण कुमार पुत्र चन्दगीराम जाति जाट साकिन भैरूछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ने बअदालत नायब तहसीलदार राजस्व छानीबड़ी दिनांक 20.09.2021 मुकदमा नं0 01/2018 बअनवानी स्टेट बनाम कृष्ण कुमार के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत की जो संक्षेप में निम्न प्रकार है–

1. यह अपील कृत निर्णय विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरित एंव प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होनें की वजह से निरस्त योग्य है।
2. यह है कि नायब तहसीलदार राजस्व छानीबड़ी ने अपीलान्ट को दफा 22 उपनिवेशन अधिनियम के तहत एक नोटिस दिया कि आप ने रोही मौजा चक न. 4 जे. एस. एल. के खसरा नं. 148, 149, 150 की तादादी 0.0026 हैक्टेयर यानि 288 वर्गफुट गैर मुमकिन श्मशान भूमि पर पक्का आवासीय निर्माण कर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है। जिस पर मातहत अदालत द्वारा दिनांक 07–09–2018 को निर्णय पारित कर अपीलांट को विवादित स्थल से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया था। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने श्रीमान् अदालत में अपील प्रस्तुत की जो बाद सुनवायी दिनांक 30–1–2020 को आंशिक स्वीकार कर पत्रावली मातहत अदालत को रिमाण्ड की गई कि विवादित भूमि का पुनः सीमांकन करवाया जाकर एवं अपीलान्ट को विधिवत रूप से सुनवायी का अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। जिस पर अदालत ने बिना विधिवत रूप से सुनवायी किये निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है।
3. यह कि पत्रावली में विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा से अपीलान्ट के पट्टे की वैधता के बारे में रिर्पाट ली गई। जिसमें ग्राम सचिव ने रिर्पोट पेश की, कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

जिसमें दर्ज किया है, कि ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति में पट्टा के बारे में कोई रिकार्ड नहीं है, जबकि वास्तविक तथ्य इस प्रकार है, कि करीब 33 वर्ष पूर्व रिकार्ड जल गया था। जिस बाबत रिर्पोट में कोई तथ्य दर्ज नहीं किये है। इसलिए रिर्पोट की सत्यता पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर मातहत अदालत ने निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

4. यह कि पत्रावली में हल्का पटवारी गढीछानी से रिर्पोट ली गई जिसमें दर्ज किया है, कि अपीलान्ट ने रोही मौजा चक न. 4 जे. एस. एल. के ख.न. 189 की 0.759 हैक्टेयर गै.मु. ईन्ट भट्टा की भूमि पर पक्का निर्माण (288 वर्ग फुट यानि 0.0026 हैक्टेयर) पर अतिक्रमण कर रखा है। इसलिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं 50 गुणा तावान एवं बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया है। मातहत अदालत ने मात्र रिर्पोट पटवारी के आधार पर निर्णय किया है जबकि इस प्रकार का कठोर निर्णय बिना साक्ष्य सबूत के नहीं किया जा सकता। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है ।

5. यह कि हल्का पटवारी गढीछानी ने रिर्पोट की, कि रोही मौजा चक न. 4 जे.एस. एल. के ख.न. 148, 149, 150 की तादादी 0.0026 हैक्टेयर यानि 288 वर्गफुट गैर मुमकिन श्मशान भूमि पर पक्का आवासीय निर्माण कर अपीलान्ट ने अनाधिकृत कब्जा कर लिया है। जिस पर मातहत अदालत द्वारा दिनांक 07–09–2018 को निर्णय पारित कर अपीलांट को विवादित स्थल से बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया एवं उसी हल्का पटवारी ने पुनः रिर्पोट की है, कि अपीलान्ट ने रोही मौजा चक न. 4 जे. एस. एल. के ख.न. 189 की 0. 759 हैक्टेयर गै.मु. ईन्ट भट्टा की भूमि पर पक्का निर्माण (288 वर्ग फुट यानि 0.0026 हैक्टेयर) पर अतिक्रमण कर रखा है। इसलिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं 50 गुणा तावान एवं बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया है। मातहत अदालत ने मात्र रिर्पोट पटवारी के आधार पर निर्णय किया है जबकि पत्रावली में दो अलग अलग रिपोर्ट है। जिस पर मातहत अदालत ने कोई गौर नहीं किया एवं इस प्रकार का कठोर निर्णय बिना साक्ष्य सबूत के नहीं किया जा सकता एवं भूमि का सही सीमांकन कमेटी के सदस्यों द्वारा करवाया जाकर निर्णय पारित करना चाहिये था। ऐसा नहीं किया गया है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है ।

6. यह कि विवादित भूखण्ड का पट्टा अपीलान्ट के पिता के नाम से 20–01–1964 को ग्राम पंचायत द्वारा किमतन जारी किया गया था, जो लगातार उपयोग व उपभोग में चला आ रहा है। विवादित भूमि गांव की आबादी के चिपती हुई है। सम्पूर्ण तीन बीघा भूमि आवासीय मकान है। अपीलांट रिहायस बनाकर निवास कर रहा है। बी.पी.एल. परिवार से एवं गरीब आदमी है। उसके वाबजूद भी मातहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अदालत ने अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है, जो किसी प्रकार से कानून सम्मत नही होने के कारण निरस्त योग्य है ।

7. यह कि निर्णय करने से पूर्व मातहत अदालत ने प्रस्तुत दस्तावेजो का गहन अवलोकन नहीं किया, यदि पत्रावली का अवलोकन कर निर्णय किया जाता तो इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्कता नही होती, इसलिये मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है ।
8. यह कि मातहत अदालत ने सर्वे दल से कोई पैमाइस नहीं करवायी गई है। इस प्रकार का कठोर निर्णय पारित करने से पूर्व स्टेट की तरफ से साक्ष्य ली जाकर एवं प्रकरण साबित होने पर ही निर्णय करना चाहिये था। प्रस्तुत पत्रावली पर ऐसा कुछ नही किया गया है। इसलिये उक्त निर्णय विधि विरूद्व होने की वजह से निरस्त योग्य है ।
9. यह कि विवादित भूमि आबादी भूमि से चिपती हुई है। जिस पर ग्रामवासियो ने रिहायस कर रखी है, ना ही ग्राम वासियो द्वारा कभी विवादित भूमि को ईंन्ट भट्टा के उपयोग व उपभोग में लिया गया है। मातहत अदालत ने विवादित भूमि को सरकारी उपयोग की भूमि मानकर निर्णय किया है, जो निरस्त योग्य है ।
10. यह कि अपीलान्ट ने ऐसा कोई कार्य नही किया है, जिसकी सजा इस प्रकार का निर्णय हो कानूनन् इस प्रकार का कठोर निर्णय पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को विधिवत रूप से सुनवायी का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है, लेकिन मातहत अदालत ने ऐसा नही कर कानूनी भूल की है। इसलिये निर्णय निरस्त योग्य है ।
11. यह कि मातहत अदालत ने शाजिसाना तरीके से सिर्फ अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने के उदेश्य से विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है, जो किसी भी तरीके से चलने योग्य नहीं होने के कारण खारीज योग्य है ।
12. यह अपीलान्ट रिहायस बनाकर निवास कर रहा है। भूखण्ड पर काबिज है, चारो तरफ आबादी बसी हुई है ,बिजली पानी के कनेक्शन है एवं गलियां पक्की बनी हुई है, उसके बावजूद भी मातहत अदालत ने अपीलान्ट को बिना सुने राजनैतिक दबाब में आकर उक्त निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है
13. यह कि अपीलान्ट आबादी भूमि मानकर आवासीय निर्माण कर रखा है एवं रिहायस बनाकर अपीलांट निवास कर रहा है। उसके बावजूद भी सही पैमाईस होने पर यदि विवादित जगह इन्ट भट्टा की भूमि है, तो नियमानुसार सरकारी रकम जमा करवाकर विवादित भूखण्ड नियमन करवाने के लिए सहमत है ।
14. यह कि मातहत अदालत का निर्णय स्वैच्छाचारी मनमाना एवं कानून सम्मत नहीं है, जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है। इसलिए निरस्त योग्य है ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

15. यह कि मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग आर्डर नहीं है, जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है, इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है ।

16. यह कि नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट/ गैरसायल हाजिर अदालत आया एवं अदालत द्वारा आगामी तारीख पेशी सूचित करने बाबत कहा उसके बाद बिना किसी सूचना के बिना कोई विधिवत सुनवायी का अवसर दिये विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है, जिसका अपीलान्ट को कोई ज्ञान नहीं था। अब विवादित भूखण्ड से बेदखल करने की कार्यवाही कर रहें। तब अदालत मे जाकर निर्णय की जानकारी प्राप्त की, तो बताया की आपका निर्णय दिनांक 20–9–2021 को हो चुका है, तो नकल प्राप्त की एवं निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी होते ही तुरन्त वकील के मेहंताना की व्यवस्था कर वकील से सम्पर्क किया तो निर्णय के खिलाफ अपील पेश करने बाबत बताया गया साथ ही अपीलान्ट एक अनपढ़ एवं काश्तकार पेशा है, जिसे कानूनी प्रकिया का कोई ज्ञान नहीं है। निर्णय होने की जानकारी होते ही आज बिना किसी देरी के अपील पेश की जा रही है, जो ज्ञान से अन्दर मियाद है ।

17. यह कि अपील अदालत के क्षैत्राधिकार निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश व ज्ञान से अन्दर मियाद है ।

18. यह कि अन्य कानून एवं तथ्यों सम्बन्धित वर वक्त बहस अर्ज किया जावेगा । लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 20–9–2021 निरस्त करने का आदेश फरमावें ।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया है। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । नायब तहसीलदार राजस्व छानीबड़ी से मुकदमा नं0 01/2018 बअनवानी स्टेट बनाम कृष्ण कुमार निर्णय दिनांक 20.09.2021 की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट ने की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये–

(1) दिनांक 20.09.2021 को नायब तहसीलदार छानीबड़ी को निर्णय विधि विरूद्ध है। क्योंकि अपीलांट को धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम के तहत नोटिस दिया गया कि आप ने रोही मौजा चक नं0 4 जे.एस.एल. के खसरा नं0 148, 149, 150 का कुल रकबा 0.0026 हैक्टैयर यानी 288 वर्गफुट गैर मुमकीन श्मशान भूमि पर पक्का अवासीय निर्माण कर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है। जिसके संबध में माहतत अदालत द्वारा दिनांक 07.09.2018 को बेदखली का आदेश पारित किया गया।

(2) उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अदालत हाजा में अपील प्रस्तुत की गई जिस पर सुनवाई के बाद अदालत हाजा द्वारा दिनांक 30.01.2020 को पत्रावली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

माहतत अदालत को रिमाण्ड की गई कि सीमांकन किया जाकर निर्णय पारित हो।

(3) हल्का पटवारी गढ़छानी पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार रोही मौजा चक नं0 4 जे.एस.एल. के खसरा नं0 189 की 759है0 गैर मुमकीन ईन्ट भट्टा मानते हुये हुये अतिक्रमण माना गया। जिस पर कार्यवाही करते हुये नायब तहसीलदार राजस्व छानीबड़ी द्वारा 20.09.2021 को बेदखली का आदेश पारित किया गया। जिसमें अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 30.01.2020 को दिये आदेश की पालना सही ढंग से नहीं की गई।

(4) विवादित भूखण्ड का पट्टा प्रार्थी के पिता के नाम से दिनांक 20.01.1994 को जारी किया हुआ है। पट्टे के संबध में विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें कार्यालय ग्राम पंचायत गढ़छानी के पत्र क्रमांक 86/GC/2020–21 दिनांक 02.10.2020 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त पट्टे का ग्राम पंचायत में कोई रिकार्ड दर्ज नहीं है। कार्यालय पंचायत समिति भादरा के पत्र क्रमांक 8279 दिनांक 26.10.2020 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त पट्टे का रिकार्ड ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं है क्योंकि रिकार्ड जल गया इस बाबत कोई रिपोर्ट नहीं है। उक्त भूखण्ड आबादी भूमि से चिपता हुआ है, यदि यह रकबा ईंट भट्टा का है तो भी राजकीय भूमि है। प्रार्थी नियमन हेतु तैयार है। सरकार की तरफ से न तो कोई साक्ष्य ओर न कोई बयान हुए। अतः पत्रावली रिमांड की जावें।

तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। तहसीलदार भादरा नें अपनी बहस में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये–

(1) उक्त अपील में वर्णित तथ्यहीन आरोप अस्वीकार है, क्योंकि निर्णय माहतत अदालत द्वारा सही किया गया है।

(2) अपीलांट को विधिवत रूप से सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया था।

(3) विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा से उक्त भूखण्ड के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार ग्राम पंचायत एंव पंचायत समिति भादरा में भूखण्ड के पट्टा के बारे में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(4) अपीलांट को हल्का पटवारी गढ़ीछानी की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी घोषित किया गया है।

(5) हल्का पटवारी गढ़छानी द्वारा पहली रिपोर्ट में गैर मुमकीन श्मशान व दुसरी रिपोर्ट में गैर मुमकीन भट्टा की रिपोर्ट प्रेषित की जबकि वास्तव में उक्त जगह गैर मुमकीन ईंट भट्टा ही है। श्रीमान से निवेदन है कि विचाराधीन अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतया विधिपूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील खारीज फरमाई जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एंव तहसीलदार भादरा द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया। पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.01.2020 का अवलोकन किया गया। बहस से यह तथ्य जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत में इस भूखण्ड बाबत कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना पाया गया है। अपीलांट अधिवक्ता ने, जो आगजनी की बात प्रस्तुत की है, इसकी पुष्टि करनें वाला कोई साक्ष्य भी अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा इस भूमि की रिपोर्ट में इसे कभी गैर मुमकीन श्मशान तो कभी गैर मुमकीन ईंट भट्टा होनें बाबत विरोधाभाषी रिपोर्ट पर ऐतराज किया है। रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत बहस में इसे ईंट भट्टा ही माना गया है। अतः भूमि की किस्म बाबत राजकीय सेवा में संलग्न कार्मिक की रिपोर्ट को गलत नहीं माना जा सकता। यहां यह बिन्दु उल्लेखनीय है कि भूमि की किस्म चाहे जो भी हो, यहां प्रस्तुत हर रिपोर्ट में अपीलांट को अतिक्रमी माना गया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय किसी प्रकार अनुचित प्रतीत नहीं होता है। इस अदालत की नजर में यह अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय इस न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावें।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा आज दिनांक 28.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/12/22

(चंचल वर्मा, आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बोहर (हनुमानगढ़)